



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 289 राँची, शनिवार,

29 मई, 2021 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची**

-----  
**संकल्प**

**12 अप्रैल, 2021**

संख्या-5/आरोप-1-101/2018-3648 (HRMS)/ श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 774/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अपर समाहर्ता, दुमका के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-682, दिनांक 19.02.2018 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, दुमका के पत्रांक-123/वि0, दिनांक 10.02.2018 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। गठित समिति को निदेश दिया गया था कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर वर्तमान प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन, जरमुण्डी को तोड़कर एवं सामग्रियों की नीलामी कर प्राप्त राशि जिला कोषागार, दुमका के समूचित शीर्ष में जमा किया जाय। परन्तु निदेश के बावजूद एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी समिति द्वारा वर्तमान प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी, जो श्रीमती गुप्ता द्वारा निदेश की अवहेलना एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक- 6307, दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्रीमती गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने पत्रांक-1429/ रा0, दिनांक 07.09.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया है। श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि उप विकास आयुक्त, दुमका के आदेश ज्ञापांक-1183, दिनांक 30.12.2017 द्वारा उनकी अध्यक्षता

में सात सदस्यीय समिति गठित की गई थी। नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन निकालना और निविदा निष्पादित करने हेतु तिथि निर्धारित कर समिति के सदस्यों को सूचित करने का दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरमुण्डी का था, लेकिन उनके द्वारा नीलामी हेतु विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा था, क्योंकि प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, जरमुण्डी के भवन के छत के ऊपर सांसद निधि से सोलर प्लेट अधिष्ठापित था, जिसके स्थानांतरण हेतु उप विकास आयुक्त, दुमका से मार्गदर्शन की माँग की गई थी तथा श्रीमती गुप्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इनके द्वारा कार्य के निष्पादन में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है।

श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8051, दिनांक 30.10.2018 द्वारा उपायुक्त, दुमका से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-17/वि0, दिनांक 06.01.2021 द्वारा श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि दुमका जिलान्तर्गत प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, जरमुण्डी के निर्माण कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है तथापि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नवनिर्मित प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, जरमुण्डी का उद्घाटन दिनांक 14.12.2020 को श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा किया गया तथा कार्यालय कार्य उक्त भवन में संचालित है, अतः श्रीमती गुप्ता को प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, जरमुण्डी के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप से मुक्त किया जा सकता है।

श्रीमती गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, दुमका से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्ता, दुमका को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती इंदु गुप्ता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                          |
| 1      | INDU GUPTA<br>BHR/BAS/3437  | श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्ता, दुमका को आरोप मुक्त किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:111004320892